**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 933**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्तर**

**विभिन्न केन्द्रों में जनशक्ति की तैनाती**

**933. डा॰ चंदन मित्राः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी) के अंतर्गत स्थापित विभिन्न दृष्टि केन्द्रों पर जनशक्ति की तैनाती के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) क्या एनपीसीबी के अंतर्गत विभिन्न दृष्टि केन्द्रों में अप्रशिक्षित और आयोग्य जनशक्ति तैनात करने से संबंधित शिकायतें सरकार को प्राप्त हो रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

(क): विगत पांच वर्षों के दौरान राष्‍ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्‍पतालों और दृष्टि केंद्रों में संविदा आधार पर ऑप्‍थेल्मिक सहायकों की नियुक्ति के लिए राज्‍य को निर्गत की गई राशियों का वर्षवार ब्‍यौरा निम्‍नलिखित है:-

(लाख रूपए में)

|  |  |
| --- | --- |
| वर्ष | निर्गत राशि |
| 2010-11 | 193.50 |
| 2011-12 | 363.00 |
| 2012-13 | 338.00 |
| 2013-14 | 435.42 |
| 2014-15 | 820.99 |
| कुल | 2150.91 |

(ख): इंडियन ऑप्‍टोमेटरी फेडरेशन से दृष्टि तकनीशियनों के आरंभिक स्‍तर के मानदंड को पूरा न करने वाले अथवा शिक्षण के समान पाठ्यक्रम के संबंध में एक अभ्‍यावेदन प्राप्‍त हुआ था। तथापि, अभ्‍यावेदनकर्ता ने ऐसे दृष्‍टि तकनीशियनों के नाम तथा अपेक्षित योग्‍यता और दृष्‍टि केंद्रों की अवस्थिति जहां वे नियुक्‍त हैं, की जानकारी प्रदान नहीं की है।

तथापि यह उल्‍लेख किया जाता है कि जहां तक प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों में तैनात दृष्टि केंद्रों का प्रश्‍न है उनमें संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा एनपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्‍यता की जांच के उपरांत ही यथोचित योग्‍य पैरा-मेडिकल ऑप्‍थोल्मिक सहायकों (पीएमओए) की भर्ती की जाती है।

(ग): एनपीसीबी ने राज्‍यों को दृष्टि केंद्रों सहित कार्यक्रम की विभिन्‍न गतिविधियों के कार्यान्‍वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय द्वारा तैनात कार्मिकों द्वारा क्षेत्रीय स्‍तर पर समीक्षा बैठकों में राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकारियों के साथ कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जाती है।

\*\*\*\*\*